न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम अपर सिविल जज जू0डि0, हरिद्वार। उपस्थित :– तनुजा कश्यप, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा। निर्णय की तिथि– 13.08.2026 प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या– 75/2023 कम्प्यूटर संख्या– 1601/2023 CNR No-UKHA02-017508-2023 अन्र्तगत धारा– 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 निर्णय में कुल पृष्ठों की संख्या :–16 पृष्ठ

व्यथिता का नाम एवं पता	श्रीमती अल्का पत्नी योगेश कुमार पुत्री जयपाल सिंह। हाल निवासी मकान नम्बर 29, मौहल्ला कडच्छ, ज्वालापुर, थाना ज्वालापुर, जिला हरिद्वार।

बनाम

विपक्षी का नाम एवं पता	**1.** योगेश कुमार पुत्र विनोद। **2.** विनोद पुत्र नामालूम। **3.** श्रीमती मिंतलेस पत्नी विनोद। **4.** आरती पुत्री विनोद। **5.** प्रियंका पुत्री विनोद। निवासीगण ग्राम मोलना थाना झबरेड़ा जिला हरिद्वार।

व्यथिता के विद्वान अधिवक्ता	श्रीमती मंजू रानी।
प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता	एकपक्षीय निर्णय

प्रार्थना पत्र संस्थित करने की दिनांक	04.08.2023
बहस सुनने की दिनांक	31.07.2026
निर्णय की दिनांक	12.08.2026

<u>एकपक्षीय निर्णय</u>

व्यथिता श्रीमती अल्का द्वारा यह प्रकीर्ण फौजदारी वाद धारा 12, घरेलू हिंसा के महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध योजित किया गया है।

2. संक्षेप में व्यथिता के प्रार्थना पत्र के कथन इस प्रकार है कि व्यथिता की शादी दिनांक 24.02.2023 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार योगेश कुमार पुत्र विनोद निवासी ग्राम मोलना थाना झबरेडा जिला हरिद्वार के साथ हुई थी। व्यथिता के विवाह में व्यथिता के परिवार वालो ने विपक्षी को स्त्रीधन के रूप में रॉयल इनफिल्ड (क्लासिक) मोटर साईकिल व नगद 2,50,000/– रूपये व सोने चाँदी के जेवरात, घरेलू उपयोग की सभी वस्तुएं जैसे फ्रीज कुलर, टी०वी०, वाशिंग मशीन, डबल बैड सोफा आदि व सभी को कपडे आदि दिये थे, फिर भी व्यथिता के ससुर विनोद, सास मिंतलेस, ननंद कोमल, ननंदोई सचिन, ननंद आरती, ननंद प्रियंका, मामा सत्यवीर, फूफा ससुर पूरणमल, मौसा ससुर, राकेश व राजकुमार आदि प्रत्यर्थीगण इतना स्त्रीधन देने के बाद भी खुश नही हुयें जिसके चलते प्रत्यर्थीगण व्यथिता के साथ गाली गलौच करते व दहेज नही लाने के कारण ताना मारते कि हमारे लडके की शादी में तो फोर विहलर आ रही थी, फिर भी हमने तुम्हारे व तुम्हारे परिवार वालो के साथ रिश्ता जोडा।

2ए. विपक्षी आये दिन शराब पीकर व्यथिता का मानसिक व शारीरिक उत्पीडन करता एक दिन तो सारी हद ही पार हो गयी दिनांक 04.05.2023 में सुबह के समय व्यथिता का पति, सास व ससुर, ननंदो व ननंद के पति ने मारपीट की और जिस कमरे में व्यथिता रहती थी उस कमरे को बाहर से ताला लगाकर बन्द कर दिया और व्यथिता को शाम के समय कमरे से बाहर निकाला फिर भी उक्त प्रत्यर्थीगणो का मन नहीं भरा तो मेरे पति ने मुझे अपनी बाईक पर बैठाकर रास्ते में गिरा दिया और मुझे मैन्टली टॉर्चर किया फिर घर लाकर मेरे साथ मारपीट की और कहा कि या तो मुझे अपने घर वालो से दो लाख रूपये व कार लाकर दो नहीं तो हम सब मिलकर तुमको व तुम्हारे परिवार वालो को जान से मार देगें और तुम्हारी व तुम्हारे परिवार वालो की लाश का पता भी नहीं देंगे इस समस्त घटना की सूचना प्रत्यर्थीगण के पडौस में रहने वाली महिला ने व्यथिता के मायके में दी तभी व्यथिता के मायके वाले इकबालपुर पुलिस चौकी थाना झबरेडा जिला हरिद्वार में आयें और वहीं से व्यथिता व उक्त प्रत्यर्थीगण को इकबालपुर पुलिस चौकी बुलाया गया उक्त प्रत्यर्थीगणो को काफी समझाया फिर भी नही मानें तथा इकबालपुर चौकी पुलिस की उपस्थिति में ही व्यथिता के मायके वाले व्यथिता को बिना किसी जेवरात अपने घर ले आये तथा व्यथिता का मेडिकल मुआयना जिला अस्पताल हरिद्वार में दिनांक 05.05.2023 में कराया गया फिर भी इतना सब होने के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही प्रत्यर्थीगण के खिलाफ आज तक नही की गई न ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत किया इसलिये उक्त प्रत्यर्थीगण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना न्यायाहित में आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

2बी. व्यथिता के पास किसी प्रकार का कोई साधन अपने भरण पोषण करने व खर्च उठाने की भी कोई व्यवस्था नही है एवं न ही व्यथिता किसी प्रकार का कोई सिलाई कढाई आदि का ऐसा कार्य भी नही जानती है, जिससे वह अपना भरण पोषण का खर्च उठा सके। विपक्षी के पास काफी कृषि भूमि है विपक्षी प्राईवेट कम्पनी पंजीकृत श्रमिक है जिसका प्रतिमाह का वेतन 45000/– रूपये है। विपक्षी को सभी स्रोतो से प्रतिमाह आय लगभग 75 हजार रूपये से अधिक है। व्यथिता अपने माता पिता के पास मकान नम्बर 29 मौहल्ला कडच्छ ज्वालापुर हरिद्वार में रह रही है जो कि न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है इसलिये उक्त याचिका को सुनने एवं अन्तिम रूप से निर्णित करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है। व्यथिता को विपक्षी से स्वयं के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह 35 हजार रूपये दिलाये जाने आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। व्यथिता का परिवाद उक्त अं०धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 स्वीकार किया जाकर निम्न अनुतोष व्यथिता के हित में प्रत्यर्थीगणो के विरूद्ध पारित की जावे। घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 18 के अन्तर्गत व्यथिता का संरक्षण आदेश पारित करने की कृपा करे। तथा स्तम्भ 4 (क) (ख) (ग) (ड) के निबन्धानुसार वर्णित किसी कार्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये प्रत्यर्थीगण के खिलाफ व्यादेश प्रदान करके घरेलू हिंसा के कार्य को प्रतिषिद्ध करने की कृपा करे। प्रत्यर्थीगण को व्यथिता के विरूद्व की जा रही हिंसा रोकने के लिये एवं दूर करने के लिये निर्देश व आदेश देने की कृपा करे। प्रत्यर्थीगण को प्रत्यर्थीगण द्वारा स्त्रीधन जिसकी सूची संलग्न है को अन्य संक्रामण को प्रतिषिद्ध करने की प्रार्थना को स्वीकार करते हुये आदेश पारित करने की कृपा करे। कोई अन्य आदेश माननीय न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे, विनिर्दिष्ट करने व आदेश देने की कृपा करे। घरेलू हिंसा से महिला के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 19 के अधीन प्रत्यर्थीगण को व्यथिता/पीडिता को साझी गृहस्थी एवं साक्षी गृहस्थी के रिहायशी मकान से बेदखल करने एवं बाहर निकालने से रोकने का आदेश पारित करने की कृपा करे। व्यथिता/पीडिता को साक्षी गृहस्थी के मकान के उन भागो में जिनमें विवाह के समय एवं बाद में भी निवास करती रही में प्रवेश करने का आदेश पारित करने की कृपा करे। प्रत्यर्थीगण को साक्षी गृहस्थी की चल अचल सम्पत्ति के अन्य संक्रामण/व्ययन/विल्लगंन को रोकने के आदेश देने की कृपा करे। प्रत्यर्थीगण को कब्जा करने से रोकने के आदेश देने की कृपा करे। व्यथिता/पीडिता को साक्षी गृहस्थी में व्यथिता/पीडिता के अधिकारो का व्ययेन होने से रोकने की कृपा करे। व्यथिता/पीडिता की निजी चीजबस्त व स्त्रीधन तक पहुंच जारी रखने एवं हकदार बनाने का आदेश प्रत्यर्थीगण को

देने की कृपा करे। व्यथिता/पीडिता को उच्च स्तर की वैकल्पिक वाद सुविधा उपलब्ध कराने या उसके लिये किराये का संदाय करने का निर्देश देते हुये आदेश पारित करने की कृपा करें। माननीय न्यायालय विवेकानुसार कोई अन्य आदेश पारित एवं निर्दिष्ट करने की प्रार्थना स्वीकार फरमायें। घरेलू हिंसा से महिलाओ के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 20 के अधीन परिवादनी के लिये प्रत्यर्थीगण को धनीय अनुतोष के रूप में निम्नलिखित व्ययो का संदाय करने का निर्देश देने के सम्बन्ध में खादय, कपडा, चिकित्सा और अन्य आधार भूत आवश्यकता हेतु कम से कम 35 हजार रूपये प्रतिमाह दिलाये जाये राय अदालत में यदि कोई आदेश परिवादनी/पीडिता के हक में पारित हो सके पारित करने की कृपा करे।

2सी. घरेलू हिंसा से महिलाओ के सरंक्षण अधिनियम 2005 की धारा 22 के अधीन परिवादनी के लिये प्रत्यर्थीगण को व्यथिता की मानसिक रूप से हुई क्षति के नुकसान के लिये प्रतिकर आदेश परिवादनी के पक्ष में प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध पारित किया जाये। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय परिवादनी द्वारा उक्त परिवाद पत्र में चाहे गये अनुतोष को स्वीकार करें और ऐसा आदेश अथवा अन्य आदेश पारित करें जो माननीय न्यायालय प्रस्तुत मामले में दिये गये तथ्यो और परिस्थितियो में व्यथीत व्यक्ति को घरेलू हिंसा से संरक्षित करने के लिये न्याय में उपर्युक्त और उचित समझे।

3. व्यथिता के उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रत्यर्थीगण द्वारा आपत्ति मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किये गये हैं कि विपक्षी सं० 1 की शादी प्रार्थीया अल्का पुत्री जयपाल निवासी मोहल्ला कडच्छ निकट शास्त्रीनगर ज्वालापुर जिला हरिद्वार के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार बिना दान दहेज के साधारण तरीके से दिंनाक 24.2.2023 को सम्पन्न हुई थी। विवाह के 2 दिन बाद ही प्रार्थीया, विपक्षी सं० 1 को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने लगी और कहने लगी मुझे तेरे साथ नही रहना हैं मेरे जीजा सोनू और माता ओमती ने मेरी जबरदस्ती शादी तुमसे करा दी है। तुम कहा और मैं कहा। प्रार्थीया बोलती की मैं तो कंगालो में फंस गयी हूं जिन्हें ना खाने का पता न रहने का पता जाहिल गवांर लोग है। मुझे नही रहना इस शादी में मुझे तो अच्छा परिवार मिलता शहर में, मैं तो गांव में आकर फंस गयी हूं। विवाह के बाद प्रार्थीया का व्यवहार विपक्षी सं० 1 के प्रति अच्छा नही रहा, प्रार्थीया, विपक्षी सं० 1 के साथ झगडा फसाद करने लगी, विपक्षी सं० 1 ने प्रार्थीया को बहुत समझाया कि घर में झगडा आदि करके कलह पैदा मत करो इससे समाज में हमारी बेइज्जती होगी, परन्तु प्रार्थीया के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, और प्रार्थीया विपक्षी सं० 1 व विपक्षी सं० 1 के परिवार वालो के साथ झगडा फसाद करती और घर का माहौल खराब करती और शादी के 3 दिन

बाद ही प्रार्थीया मेरे परिवार वालो से अलग हो गयी और बोलने लगी कि मुझे नहीं रहना तेरे परिवार के साथ। विपक्षी सं० 1 ने प्रार्थीया से कहा कि जब तुम्हें मुझ विपक्षी सं० 1 से शादी करनी ही नही तो अपने घरवालों को मना कर देना था कि मुझे विपक्षी सं० 1 से शादी नहीं करनी है कही और शादी करनी है विपक्षी सं० 1 ने कहा कि हमारे तो घर के हालत भी अभी मेरी शादी करने के नहीं थे तुम्हारे रिश्तेदार सोनम पत्नी मेहर सिंह ने हमारे घर में आकर शादी करने का दबाव बनाया और बोला कि लडकी और लडकी का परिवार अच्छा है। विपक्षी सं० 1 के माता पिता ने सोनम से कहा कि हमारा बेटा योगेश अभी कुछ काम भी नही करता है तो वह शादी के बाद सब कैसे करेगा तो सोनम बोली सबकुछ हो जायेगा विपक्षी सं० 1 के माता पिता ने कहा कि ठीक है हम कुछ महीने बाद शादी कर लेगें लेकिन बिचौलियन सोनम ने कहा कि अल्का की माता हार्ट पेसेन्ट है उसको दो बार हार्टअटैक भी आ चुका है उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए विपक्षी सं० 1 के घरवालो ने भी शादी के लिए हां बोल दी।

3ए. शादी के बाद विपक्षी सं० 1 को पता चला कि प्रार्थीया यह शादी करना ही नही चाहती थी वह तो कही और शादी करना चाहती थी। प्रार्थीया अय्याश किस्म की महिला है, विपक्षी सं० 1 के साथ प्रार्थीया रहना ही नहीं चाहती हैं विपक्षी सं० 1 ने यह बात जब अपने ससुराल वालों को बतायी तो प्रार्थीया का जीजा सोनू प्रार्थीया को समझाने की बजाए विपक्षी सं० 1 व विपक्षी सं० 1 के परिवार वालों को ही धमकी दी कि अगर तूने अल्का को कुछ भी कहा तो तुझे व तेरे परिवार वालों को दहेज के झूठे मुकदमें में फंसाकर जेल भिजवा दूंगा और प्रार्थीया को बहकाता कि अगर इन लोगों ने तूझे कुछ कहा तो सहन मत करना मुझे बता देना मैं इनका अच्छा इन्तजाम कर दूंगा। प्रार्थीया हमेशा फोन पर अपने जीजा सोनू व अन्य लोगो से बाते करती रहती विपक्षी सं० 1 के मना करने पर विपक्षी सं० 1 साथ गाली गलौच व झगडा करती और बोलती कि मेरी जिन्दगी है मैं कुछ भी करू तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला, प्रार्थीया बोलती कि मैं इस शादी को नही मानती मुझे तलाक दे मैं अपनी जिन्दगी अपने तरीके से जीना चाहती हूं मुझे नही रहना इस कैद में, विपक्षी सं० 1 ने प्रार्थीया को हर संभव कोशिश की समझाने की वह नहीं मानी और विपक्षी सं० 1 को मारने की धमकी देने लगी। प्रार्थीया शादी के 10—15 दिन बाद कहने लगी कि मेरे पापा की बरसी है मुझे घर जाना है। विपक्षी सं० 1 प्रार्थीया को उसके घर छोड आया और विपक्षी सं० 1 ने जाने के 2 दिन बाद प्रार्थीया ने फोन किया कि मै लेने आ रहा हूं तो प्रार्थीया बोलने लगी मेरे भान्जे का जन्म दिन है मै उसके बाद आऊंगी। उसके बाद विपक्षी सं० 1 ने प्रार्थीया को आने के लिए बोला तो प्रार्थीया आने के लिए आना कानी करने लगी। विपक्षी सं० 1 व विपक्षी

सं० 1 के पिता विनोद विपक्षी सं० 1 के फूफा पूरनमल दिनांक 17.4.2023 प्रार्थीया को लेने गये तो प्रार्थीया व प्रार्थीया के परिवार वालों ने अपने सारे रिश्तेदारों को इकटठा कर लिया प्रार्थीया के जीजा सोनू और मामा के लडका मोनू व आस पड़ोस के लोगों ने विपक्षी सं० के साथ मारपीट व गाली गलौच और जबरदस्ती विपक्षी सं० 1 से कोरे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कराने लगे विपक्षी सं० 1 ने हस्ताक्षर करने से मना किया तो विपक्षी सं० 1 का पिता व फूफा पूरनमल के साथ भी इन लोगों ने गाली गलौच व मारपीट की। विपक्षी सं० 1 व विपक्षी सं० 1 के पिता और फूफा को गांव व बिरादरी के लोगों ने इन लोगो से छुडाया विपक्षी सं० 1, विपक्षी सं० 1 का पिता फूफा पुलिस चौकी ज्वालापुर चले गये और पुलिस को सारी घटना बतायी पुलिस वालो ने प्रार्थीया और उसके परिवार वालो को थाने बुलाया और थाने वालो और बिरादरी के लोगों ने प्रार्थीया और उसके परिवार वालो को समझाया कि अभी शादी को कितने दिन है ऐसे रिश्ता कैसे चलेगा।

3बी. प्रार्थीया और उसके परिवार वालो ने थाने में विपक्षी सं० 1 व विपक्षी सं० 1 के पिता विनोद से माफी मांगी और कहा कि आइन्दा ऐसा नहीं होगा पुलिस वालो और गांव व बिरादरी के मौजिज लोगो ने उन्हे समझा बुझाकर प्रार्थीया को विपक्षी सं० 1 के साथ उसकी ससुराल भेज दिया। ससुराल आने के बाद प्रार्थीया दो चार दिन तो सही रही उसके बाद फिर से अपनी पुरानी हरकते शुरू कर दी और बोलने लगी मुझे तुमअपने पति के रूप में पसन्द नहीं हो लेकिन अगर तुम गांव से अपनी हिस्से का घर बेचकर ज्वालापुर में आकर रहो तो मैं तुम्हारे साथ रहने का सोच सकती हूं विपक्षी सं० 1 ने कहा कि मैं मजदूरी करता हूं कभी मजदूरी लग जाती है कभी नहीं ऐसे में किराये के घर में हम कैसे रहेगें, लेकिन प्रार्थीया ने विपक्षी सं० 1 की एक बात नहीं सुनी तो विपक्षी सं० 1 ने प्रार्थीया की मां ओमती को फोन किया कि अल्का अपनी हरकतो से बाज नहीं आ रही है आप लोग इनको आकर समझा दो शायद आप की बात मान जाये। दिनांक 25.4.2023 को प्रार्थीया की मां ओमती व उसकी भाभी सोनिया हमारे घर आये। प्रार्थीया को समझाने की बजाय विपक्षी सं० 1 व विपक्षी सं० 1 के परिवार वालो के साथ ही गाली गलौच की और प्रार्थीया की मां ने कहा कि जैसा हमारी बेटी अल्का चाहती है वैसा ही करो नहीं तो तुझे व तेरे परिवार वालो को झूठे मुकदमों में जेल भिजवा देगे। दिनांक 04.5.2023 को सुबह विपक्षी सं० 1 अपने माता को लेकर जिनकी तबियत खराब थी सहारनपुर डाक्टर के यहां दवाईयां दिलाने चला था। विपक्षी सं० 1 के पिता भी अपने काम करने चले गये। करीब 3 बजे प्रार्थीया की माता, भाभी सोनिया भाई अनुज, जीजा सोनू, मामा का बेटा मोनू व अन्य 20—25 लोग जिनमें 10 औरते भी थी जिनमें से कुछ ने

शराब पी रखी थी विपक्षी सं० 1 के घर आ गये उस समय घर घर मेरी छोटी दो बहने आरती और प्रियंका थी इन लोगों ने मेरी बहनो के साथ गाली गलौच व मारपीट की और उनके साथ आये सोनू, मोनू व अन्य लोगो ने अश्लील हरकते व छेडखानी भी की। जीजा सोनू और प्रार्थीया की भाभी सोनिया घर के रखे सोने चांदी के जेवर और 25000/—रूपये लेकर विपक्षी सं० 1 के घर से पहले ही चले गये।किसी ने विपक्षी सं० 1 के पिता को सूचना दी तो विपक्षी सं० 1 के पिता जब घर आये तो इतने लोगों को देख वह भी डर गये। घर में देखा तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पडा है और विपक्षी सं० 1 के बहनो के साथ गाली गलौच कर रहे है विपक्षी सं० 1 के पिता ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी गाली गलौच की शोर सुनकर आस पडोस के लोगों ने इनसे विपक्षी सं० 1 के पिता ओर बहनो को बचाया।

3सी. विपक्षी सं० 1 की बहन का फोन जब विपक्षी सं० 1 को आया तो विपक्षी सं० 1 सहारनपुर से दवाई लेकर वापस आ रहा था तो विपक्षी सं० 1 और उसकी माता इकबालपुर चौकी गये औ वहां जाकर पूरी घटना बतायी तो थाने वालो ने दो चेतक वाले हमारे घर हमारे साथ भेज दिये जब हम घर आये तो यह लोग उससे पहले ही लो हमारे घर से जा चुके थे तो प्रार्थीया व उसके मायके से आये लोगों को थाने बुलाया गया और विपक्षी सं० 1 और विपक्षी सं० 1 के परिवार वाले और गांव वाले भी आ गये। चौकी वालो ने प्रार्थीया और उसके परिवार वालो को समझाया कि तुम लोगों ने विपक्षी सं० 1 के परिवार वालो के साथ इतना सब कुछ किया और विपक्षी सं० 1 की बहनो के घर के अन्दर घुसकर मारपीट व अश्लील हरकते की है तो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दे तो प्रार्थीया और उसके साथ आये लोग डर गये और थाने में विपक्षी सं० 1 व विपक्षी सं० 1 के परिवार वालो से माफी मांगने लगे कि अब ऐसा कभी नहीं होगा चौकी वालो ने प्रार्थीया को विपक्षी सं० 1 के साथ अपनी ससुराल वापस जाने के लिए कहा तो प्रार्थीया, विपक्षी सं० 1 की बाइक पर बैठ गयी और थाने से निकलने के बाद विपक्षी सं० 1 के साथ फिर से गाली गलौच करने लगी और बोलने लगी कि मुझे जाना है तेरे घर गांव में अपना घर बेचकर ज्वालापुर में आकर रह तो मेरे तेरे साथ रहूंगी नही मैं तेरे साथ नही रह सकती मुझे तलाक दे दे। विपक्षी सं0 1 ने कहा कि अभी तो तुमने चौकी में माफी मांगी है अब ऐसा कुछ नही कहोगी। तो तुम फिर से बोलने लगी तो प्रार्थीया गुस्से में बोली कि आज तुझे मैं सब सिखाती हूं और चलती मोटर साइकिल पर से कूद गयी और बोली अब तो मैं तुझे जेल भिजवाकर ही रहूंगी। विपक्षी सं० 1 ने इसकी सूचना पुलिस चौकी इकबालपुर को दी तो पुलिस वालो ने प्रार्थीया ने मायके वालो को फोन किया कि तुम लोग अपनी लडकी को उसकी ससुराल से कुछ वक्त के लिए लेकर

जाओ। रात को करीब 9–10 बजे प्रार्थीया का भाई अनुज जीजा सोनू व दो चार व्यक्ति हमारे घर आये ओर दो पुलिस की मौजूदगी में हमारे घर से लेकर चले गये। प्रार्थीया के जीजा को फोन दिंनाक 05.5.2023 को हमारे गावं के पूर्व प्रधान के पास आये और उसको प्रार्थीया के जीजा ने कहा कि योगेश के परिवार वालो को बोलो प्रार्थीया जो चाहती है विपक्षी सं० 1 वह करे नही तो विपक्षी सं० 1 व विपक्षी सं० 1 के परिवार वालो को जेल भिजवा देगे। प्रार्थीया के भाई और जीजा का फोन विपक्षी सं० 1 पर भी आया और इन लोगों ने विपक्षी सं० 1 को गाली गलौच करते हुए मारने की धमकी दी। विपक्षी सं० 1 ने प्रार्थीया पर फोन किया कि ऐसे कैसे रिश्ता चलेगा तुम अपने घर आ जाओ मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। प्रार्थीया ने दिनांक 05.5.2023 को विपक्षी सं० 1 के साथ आने से इंकार कर दिया और कहा कि अगर मेरे मुझे घर लेने आया तो तेरी टांगे तुडवा दूंगी और तू चलने लायक नही रहेगा मुझे तलाक दे मुझे नही रहना तेरे जैसे गवार के साथ मै तो दूसरी शादी करूंगी अपनी मर्जी से विपक्षी सं० 1 ने प्रार्थीया की मां से भी बात की तो उसने भी यही कहा कि जैसा प्रार्थीया चाहती हैं वह वैसा करे हम लोग उसके साथ है। प्रार्थीया ने विपक्षी सं० 1 को बिना किसी माकू वजह के अपनी हठधर्मिता के कारण छोड रखा है जिसका इस तरह से अलग रहने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थीया विपक्षी सं० 1 की मनकूहा पत्नी हैं। विपक्षी सं० 1 ने प्रार्थीया को बडे लाड प्यार से रखा और उसकी हर जायज जरूरतों को पूरा करने की हर संभव कोशिश की। प्रार्थीया ने अपने मायके में ब्यूटी पार्लर खोल रखा है। जिसका संचालन कुशलतापूर्ण कर रही है। जिससे वादीया को काफी आय प्राप्त होती है। इस तथ्य को भी वादीया द्वारा अपने प्रकीर्ण वाद में कहीं भी अंकित नही किया गया है। प्रार्थी मजदूरी का काम करता है जिससे प्रार्थी को बामुश्किल लगभग 10,000/– रूपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। जिससे प्रार्थी अपना भरण पोषण व सुख दुःख का खर्चा वहन कर रहा है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद सव्यय निरस्त होने योग्य है।

4. व्यथिता द्वारा मौखिक साक्ष्य में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र बतौर पी0डब्लू0 1 तथा बतौर पी0डब्लू0 2 के रूप में अपनी माता श्रीमती ओमबती का साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक की छायाप्रति, एलआईसी की छायाप्रति व मेडिकल की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

5. दिनांक 28.03.2025 को पत्रावली पी0डब्लू0 1 से जिरह हेतु नियत की गयी, किन्तु प्रत्यर्थीगण द्वारा पी0डब्लू0 1 से जिरह न करने के कारण दिनांक 06.09.2025 को न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण का पी0डब्लू0 01 से जिरह करने का अवसर समाप्त किया गया तथा दिनांक 10.11.2025 को प्रत्यर्थीगण की अनुपस्थिति के कारण प्रत्यर्थीगण

के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

6. न्यायालय द्वारा व्यथिता के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती मंजू रानी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

निष्कर्ष

7. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का निस्तारण करते समय न्यायालय को मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को देखना है कि–

(1) क्या व्यथिता एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य घरेलू नातेदारी है?

(2) क्या प्रत्यर्थीगण द्वारा व्यथिता के साथ घरेलू हिंसा कारित की गई?

(3) क्या व्यथिता प्रत्यर्थीगण से याचित अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

8. जहॉ तक प्रथम बिन्दु का प्रश्न है तो ''घरेलू नातेदारी'' को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–2(च) में परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है–

2(च) ''घरेलू नातेदारी'' से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे, समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा सम्बन्धित है या एक संयुक्त कुटुम्ब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुम्ब के सदस्य है।

9. इस संबंध में व्यथिता के कथन है कि व्यथिता की शादी दिनांक 24.02.2023 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार योगेश कुमार पुत्र विनोद के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही प्रत्यर्थीगण व्यथिता के साथ गाली गलौच करते व दहेज नही लाने के कारण ताना मारते कि हमारे लडके की शादी में तो फोर विहलर आ रही थी तथा विपक्षी सं0 1 आये दिन शराब पीकर व्यथिता का मानसिक व शारीरिक उत्पीडन करता एक दिन तो सारी हद ही पार हो गयी दिनांक 04.05.2023 में सुबह के समय व्यथिता का पति, सास व ससुर, ननंदो व ननंद के पति ने मारपीट की और जिस कमरे में व्यथिता रहती थी उस कमरे को बाहर से ताला लगाकर बन्द कर दिया और व्यथिता को शाम के समय कमरे से बाहर निकाल दिया। व्यथिता द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में उक्त कथनों का समर्थन किया गया तथा व्यथिता की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 2 ओमबती द्वारा भी अपने साक्ष्य शपथपत्र में प्रार्थना पत्र के कथनों का समर्थन किया गया, किन्तु प्रत्यर्थीगण की ओर से व्यथिता व व्यथिता साक्षीगण से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई, जिस कारण व्यथिता का साक्ष्य अखण्डनीय है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थीगण द्वारा भी अपनी आपत्ति में यह स्वीकार किया गया है कि व्यथिता की शादी विपक्षी सं0 1 से

दिनांक 24.02.2023 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। विवाह के दो दिन बाद ही व्यथिता विपक्षी सं0 1 को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी। विपक्षी सं0 1 ने व्यथिता को काफी समझाया कि घर में झगड़ा आदि कर कलह मत करो किन्तु व्यथिता के व्यवहार में कोई परिवर्तन नही आया और वह विपक्षी सं0 1 व उसके परिवार वालों के साथ झगड़ा फसाद करती और घर का माहौल खराब करती और शादी के 03 दिन बाद ही व्यथिता मेरे परिवार वालों से अलग हो गयी। इस प्रकार व्यथिता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व प्रत्यर्थीगण की आपत्ति से यह स्पष्ट है कि व्यथिता, विपक्षी सं0 1 के साथ संपन्न विवाह के उपरान्त प्रत्यर्थीगण के साथ एक घरेलू नातेदारी में साझी गृहस्थी में रही है।

10. जहॉ तक द्वितीय बिन्दु का प्रश्न है तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–2(क) में **''व्यथित व्यक्ति''**, धारा–2(थ) में **''प्रत्यर्थी''** एवं धारा–3 में **''घरेलू हिंसा''** को परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है–

2(क) **''व्यथित व्यक्ति''** से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है,

2(थ) **''प्रत्यर्थी''** से कोई वयस्क पुरूष अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरूद्व व्यथित व्यक्ति ने, इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा हैः

परन्तु यह कि कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरूष भागीदार के किसी नातेदार के विरूद्व शिकायत फाइल कर सकेगी,

धारा 3. घरेलू हिंसा की परिभाषा–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य लोप, या कार्यकरण या आचरण, घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह,–

(क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य की अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहॅुचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है और जिसके अन्तर्गत शारीरिक दुरूप्रयोग, लैंगिक दुरूप्रयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरूप्रयोग और आर्थिक दुरूप्रयोग कारित करना भी है, या

(ख) किसी देहज या अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए

किसी विधि–विरूद्व मॉग की पूर्ति के लिए उसे या उससे सम्बन्धित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति को तंग करता है या उसकी अपहानि करता है या उसे क्षति पहुॅचाता है या संकटापन्न करता है, या

(ग) खण्ड (क) या (ख) में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति पर धमकी देने का प्रभाव रखता है, या

(घ)व्यथित व्यक्ति को, अन्यथा क्षति पहुॅचाता है या अपहानि कारित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।

स्पष्टीकरण 1–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(i) ''शारीरिक दुरूप्रयोग'' से ऐसा कोई कार्य या आचरण अभिप्रेत है जो ऐसी प्रकृति का है, जो व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अपहानि या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है उससे उसके स्वास्थ्य या विकास का ह्यस होता है और इसके अन्तर्गत हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी है,

(ii) ''लैंगिक दुरूप्रयोग'' में लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण शामिल है, जो महिला की गरिमा का दुरूप्रयोग, अपमान, तिरस्कार करता है या अन्यथा अतिक्रमण करता है,

(iii) ''मौखिक और भावनात्मक दुरूप्रयोग'' के अन्तर्गत शामिल है–

(क) अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली और विशेष रूप से सन्तान या नर बालक के न होने के सम्बन्ध में अपमान या उपहास, और

(ख) किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की पुनरावृत्त धमकियॉ देना, जिसमें व्यथित व्यक्ति हितबद्व है,

(iv) ''आर्थिक दुरूप्रयोग'' के अन्तर्गत शामिल है–

(क) सभी या किन्हीं, आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन या अन्यथा सन्देय हो या जिनकी व्यथित व्यक्ति किसी आवश्यकता के लिए, जिसके अन्तर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों, यदि कोई हों, के लिए घरेलू आवश्यकताऍ भी हैं, किन्तु जो उन तक सीमित नहीं है, स्त्रीधन, व्यथित व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक्तः स्वामित्वाधीन सम्पत्ति, साझी गृहस्थी और उसके रखरखाव से सम्बन्धित भाटक के संदाय, से वंचित करना,

(ख) गृहस्थी के सामानों का व्ययन, आस्तियों का चाहे जंगम हो या स्थावर, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बन्धपत्रों और सदृश या अन्य सम्पत्ति का कोई अन्य संक्रमण जिसमें, व्यथित व्यक्ति का कोई हित है या घरेलू नातेदारी के आधार पर उनके प्रयोग के लिए हकदार है या जिसकी व्यथित व्यक्ति या उसकी सन्तानों द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जा सकती है उसका स्त्रीधन या व्यथित व्यक्ति द्वारा संयुक्तताः या पृथक्तः धारित की जाने वाली कोई अन्य सम्पत्ति और,

(ग) ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक, जिनका घरेलू नातेदारी के परिणामस्वरूप कोई व्यथित व्यक्ति, उपयोग या उपभोग करने के लिए हकदार है, जिसके अन्तर्गत साझी गृहस्थी तक पहुॅच शामिल है, लगातार पहुॅच के लिए प्रतिषेध या निर्बन्धन। स्पष्टीकरण–2–यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या कार्यकरण या आचरण इस धारा के अधीन ''घरेलू हिंसा'' का गठन करता है, मामले के सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा।

11. इस संबंध में व्यथिता के कथन है कि व्यथिता का विवाह विपक्षी सं0 1 योगेश कुमार के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 24.02.2023 को सम्पन्न हुआ था। विवाह के बाद ही व्यथिता को यह ज्ञात हुआ कि विपक्षी नशे का आदि है तथा विवाह के कुछ माह बाद ही विपक्षी के द्वारा व्यथिता के साथ मारपीट, गाली–गलौच, दहेज न लाने के ताने देना तथा नशे में व्यथिता का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करने लगा। दिनांक 04.05.2023 में सुबह के समय व्यथिता का पति, सास व ससुर, ननंदो व ननंद के पति ने मारपीट की और जिस कमरे में व्यथिता रहती थी उस कमरे को बाहर से ताला लगाकर बन्द कर दिया और व्यथिता को शाम के समय कमरे से बाहर निकाला फिर भी उक्त प्रत्यर्थीगणो का मन नहीं भरा तो मेरे पति ने मुझे अपनी बाईक पर बैठाकर रास्ते में गिरा दिया और मुझे मैन्टली टॉर्चर किया फिर घर लाकर मेरे साथ मारपीट की और कहा कि या तो मुझे अपने घर वालो से दो लाख रूपये व कार लाकर दो नहीं तो हम सब मिलकर तुमको व तुम्हारे परिवार वालो को जान से मार देगें और तुम्हारी व तुम्हारे परिवार वालो की लाश का पता भी नहीं देंगे इस समस्त घटना की सूचना प्रत्यर्थीगण के पडौस में रहने वाली महिला ने व्यथिता के मायके में दी तभी व्यथिता के मायके वाले इकबालपुर पुलिस चौकी थाना झबरेडा जिला हरिद्वार में आयें और वहीं से व्यथिता व उक्त प्रत्यर्थीगण को इकबालपुर पुलिस चौकी बुलाया गया उक्त

प्रत्यर्थीगणो को काफी समझाया फिर भी नही मानें तथा इकबालपुर चौकी पुलिस की उपस्थिति में ही व्यथिता के मायके वाले व्यथिता को बिना किसी जेवरात अपने घर ले आये तथा व्यथिता का मेडिकल मुआयना जिला अस्पताल हरिद्वार में दिनांक 05.05.2023 में कराया गया। व्यथिता द्वारा अपने उक्त कथनों को स्वयं के साक्ष्य शपथपत्र से समर्थित किया है तथा व्यथिता की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 2 द्वारा भी व्यथिता के उक्त कथनों का समर्थन अपने साक्ष्य शपथपत्र में किया गया है। प्रत्यर्थीगण की ओर से व्यथिता साक्षीगण से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई, जिस कारण उसका साक्ष्य अखण्डनीय है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध संरक्षण अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी की रिपोर्ट दिनांकित 11.08.2023 से भी प्रत्यर्थीगण द्वारा व्यथिता के साथ घरेलू हिंसा कारित करना दर्शित होता है।

12. तीसरा अवधारीय बिन्दु अनुतोष का है।

<u>अंतर्गत धारा 18 – संरक्षण आदेश–</u> जहां तक अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत अनुतोष का प्रश्न है, चूंकि प्रत्यर्थीगण का व्यथिता के साथ मौखिक, शारीरिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार कर हिंसा कारित किया जाना स्थापित है। अतः अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत अनुतोष हेतु प्रत्यर्थीगण को व्यथिता के साथ शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक हिंसा कारित न करने हेतु आदेशित किया जाना न्यायसंगत होगा।

13. **<u>अंतर्गत धारा 19 – निवास आदेश–</u>** जहां तक अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अनुतोष का प्रश्न है, व्यथिता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में सांझी गृहस्थी के आवास मोलना थाना झबरेडा, हरिद्वार में प्रवेश करने व साझी गृहस्थी में उसका व्ययन होने से रोकने के आदेश पारित करने अथवा उच्च स्तर की वैकल्पिक आवास सुविधा उपलब्ध कराने या उसके लिए किराये का संदाय करने के आदेश पारित करने की मांग की गयी है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को निवास आदेश पारित करते समय उभयपक्षों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। हस्तगत मामले में उल्लेखनीय है कि व्यथिता अपने वैवाहिक जीवन के दौरान प्रत्यर्थीगण के साथ उक्त साझा गृहस्थी के मकान में रही है। व्यथिता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किये हैं कि उसके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट एंव घरेलू हिंसा की गयी, जिसके परिणामस्वरूप उसे उक्त घर से निकलकर वर्तमान में अपने माता– पिता के साथ रहने के लिए विवश होना पड़ा। अवलोकनीय है कि व्यथिता का वर्तमान में अपने माता पिता के साथ निवास करना यदि उसके साझी गृहस्थी के निवास स्थान में पुनः निवास करने की इच्छा के साथ पढ़ा जाये तो यह दर्शित होता है कि व्यथिता ने साझी गृहस्थी के निवास स्थान को स्थायी रूप से त्यागने का विकल्प नही चुना है बल्कि परिस्थितिवश

वहां से अलग रहने के लिए विवश हुई है। ऐसी स्थिति में व्यथिता को उसकी साझी गृहस्थी में निवास करने के अधिकार से वंचित नही किया जा सकता। अतः प्रत्यर्थीगण को व्यथिता को साझी गृहस्थी के निवास स्थान से बेदखल करने, प्रवेश करने से रोकने अथवा शांतिपूर्ण निवास में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषिद्ध किया जाना आवश्यक एवं उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश प्रत्यर्थीगण के स्वामित्व सम्बंधी अधिकारों का अंतिम निर्णय नही करता है।

14. **अंतर्गत धारा 20 – भरण–पोषण –** जहां तक अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत धनीय अनुतोष का प्रश्न है, व्यथिता की ओर से धनीय अनुतोष के रूप में उसके भरण–पोषण हेतु प्रत्यर्थी संख्या 01 से मु0 35,000/–रूपये प्रतिमाह दिलवाये जाने की प्रार्थना की गयी है। उक्त संबंध में अवलोकनीय है कि व्यथिता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किये गये हैं कि विपक्षी संख्या 01 के पास कृषि भूमि है और वह प्राईवेट कम्पनी का पंजीकृत श्रमिक है, जिसका प्रतिमाह वेतन 45,000/–रूपये है और उसकी सभी स्त्रोतों से आय लगभग 75,000/–रूपये से अधिक है। उल्लेखनीय है कि यद्यपि व्यथिता द्वारा उक्त कथन किये गये हैं किन्तु उनके द्वारा विपक्षी संख्या 01 की आय के संबंध में कोई भी प्रपत्र पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि विपक्षी संख्या 01 द्वारा **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रजनीश बनाम नेहा क्रिमीनल अपील संख्या 730 सन् 2020** के अनुपालन में अपनी सम्पत्ति एवं दायित्वों से संबंधित शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें उनके द्वारा स्वयं को बी0एससी0 पास होना तथा मजदूरी से प्रतिमाह 10,000/–रूपये का वेतन प्राप्त होना बताया गया है। विपक्षी संख्या 01 के द्वारा अपने शपथ पत्र में उसके पास कोई कृषि भूमि या सम्पत्ति होने के तथ्य से इंकार किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यथिता द्वारा **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रजनीश बनाम नेहा क्रिमीनल अपील संख्या 730 सन् 2020** के अनुपालन में अपनी सम्पत्ति एवं दायित्वों से संबंधित शपथ पत्र में स्वयं की शैक्षणिक योग्यता बी0कॉम होना व उसकी आय का कोई साधन न होना बताया गया है। इस प्रकार उपरोक्त परिचर्चा एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में व्यथिता प्रत्यर्थी संख्या 01 से भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है।

15. इस प्रकरण में अन्य कोई अनुतोष दिया जाना इस वाद की परिस्थितियों में सुसंगत नहीं है। तद्नुसार निम्न आदेश पारित किया जाता है,

<u>आदेश</u>

व्यथिता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

प्रत्यर्थीगण सं0 1 ता 5 को धारा–18 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन आदेशित किया जाता है कि वह व्यथिता के प्रति किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित ना करें और ना ही उसका कारण बनें।

प्रत्यर्थीगण को धारा–19 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन आदेशित किया जाता है कि वह व्यथिता को साझी गृहस्थी के मकान मोलना थाना झबरेड़ा, हरिद्वार में प्रवेश करने से न रोके, न बेदखल करे एवं न ही उसके शांतिपूर्ण निवास में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे।

प्रत्यर्थी संख्या 01 को धारा–20 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन आदेशित किया जाता है कि वह व्यथिता को उसके भरण–पोषण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की तारीख 04.08.2023 से मु0 4,000 / –(चार हजार) रूपये, प्रत्येक माह की दस तारीख तक देना सुनिश्चित करें। **प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा हस्तगत वाद के विचाराधीन रहते पूर्व में अंतरिम भरण पोषण के रूप में दी गयी धनराशि मु0 8000 / –रूपये उक्त धनराशि में समायोजित की जायेगी।**

इस निर्णय की एक प्रति व्यथिता को निःशुल्क प्रदान की जाए तथा इस आदेश की एक–एक प्रति संबंधित संरक्षण अधिकारी व प्रत्यर्थीगण के निवास स्थान की अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को एवं उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में व्यथिता द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, को प्रेषित की जाए।

दिनांक–12.08.2026 **(तनुजा कश्यप)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट / प्रथम अपर सिविल जज जू0डि0,
हरिद्वार।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनॉकित, हस्ताक्षरित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक–12.08.2026 **(तनुजा कश्यप)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट / प्रथम अपर सिविल जज जू0डि0,
हरिद्वार।

व्यथिता/विपक्षी/साक्षीगण का विवरण

(अ) व्यथिता साक्षीगण

कम संख्या	**नाम साक्षी**	**साक्षी की प्रकृति**
पी0डब्लू0 1	श्रीमती अल्का	व्यथिता
पी0डब्लू0 2	श्रीमती ओमबती	तथ्य के गवाह

(ब) प्रतिवादी साक्षीगण

कम संख्या	**नाम साक्षी**	**साक्षी की प्रकृति**
डी0डब्लू0 1	योगेश कुमार	प्रार्थी

व्यथिता/विपक्षी/प्रदर्श का विवरण

(अ) व्यथिता पक्ष

कम सं0	**प्रपत्र का नाम**	**कागज संख्या**
1.	पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक की छायाप्रति,	–
2.	एलआईसी की छायाप्रति	–
3.	मेडिकल की छायाप्रति	–

(ब) विपक्षी पक्ष

कम संख्या	**दस्तावेजी साक्ष्य**	**कागज संख्या**
	कोई नहीं	

दिनांक–12.08.2026

(तनुजा कश्यप)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम अपर सिविल जज जू0डि0,
हरिद्वार।